न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 92/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/146)

उनवान प्रकरण :—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....प्रार्थी

बनाम

1—मुन्नालाल पुत्र ग्यासी कौम भौई निवासी औंडेला तहसील धौलपुर
2—फूलो पत्नि भंता कौम भौई निवासी औंडेला तहसील धौलपुर
3—रमेश । ।
4—शेरा । पुत्रगण भंता । समस्त जातिगण भौई
5—गनेश । ।
6—विशनदेई । पुत्रीयान । समस्त निवासीगण औडेला
7—विमला । भंता ।
8—रजुआ । । तहसील धौलपुर

..............................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0
अप्रार्थीगण की ओर से — श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेस्ट एडवोकेट

निर्णय दिनांक 05.04.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि खसरा नम्बर 298 रकवा 1.02, 299 रकवा 0.18, 302 रकवा 1.06 में भंता ग्यासी पुत्रान कन्हैया जाति भौई निवासी ओडेला गैरखातेदार बन्दोवस्त संवत 2028 में रिकार्ड दर्ज है इससे पूर्व मुताविक खसरा गिरदावरी संवत 2026—29 में खसरा नम्बर 357/1 में रकवा 3.00 में कन्हैया भौई को मुताविक आदेश तहसीलदार द्वारा रेगुलाइज किया

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

गया दर्ज है। आंवटी ग्यासी का देहान्त होने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 221 दिनांक 27.8.98 को मुन्नालाल पुत्र ग्यासी हि. 1/2 गैरखातेदार रिकार्ड दर्ज किया गया है। इसी प्रकार भंता का देहान्त होने के बाद जरिये नामान्तकरण संख्या 637 दिनांक 20.12.2012 को फूलो पत्नि स्व0भंता, रमेश शेरा गनेश पुत्रान व विशनदेई विमला रजुआ पुत्रीयान भंता गैरखातेदार रिकार्ड दर्ज हुआ। तहसीलदार धौलपुर के आदेश कमांक 166 दिनांक 09.08.2015 के द्वारा गैरखातेदार से खातेदारी प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये है जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा अप्रार्थी मुन्नालाल पुत्र ग्यासी हि. 1/2 फूलो पत्नि स्व. भंता, रमेश शेरा गनेश पुत्रान व विशनदेई विमला रजुआ पुत्रीयान भंता जाति भौई हि. 1/2 खातेदार रिकार्ड दर्ज हुआ। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते समय 20 प्रतिशत राशि जरिये चालान नम्बर 007211095 दिनांक 30.07.2015 द्वारा राशि 323466/–रू राजकोष जमा कराई गई है। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक प.10.(17)नविवि/90 जयपुर दिनांक 15.01.1996 से राजस्व ग्राम ताल औडेला को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/33 जयपुर दिनांक 21.6.2007 एंव आदेश कमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 के द्वारा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम ताल औडेला नगर परिषद धौलपुर की परिधिय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा कराई गई लेकिन सक्षम अधिकारी पुर्वानुमति नहीं ली गयी है। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों से परे जाते हुए सम्भागीय आयुक्त महोदय एवं राज्य सरकार की अधिकारातीत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत खातेदारी दी गई। जवकि प्रकरण में गैरखातेदार द्वारा भूमि की राशि का 20 प्रतिशत राशि 323466/–रू जमा कराई गई है और लेकिन तत्समय प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है जिसके कारण गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु निर्णित नामान्तकरण विधि के बिरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 09.09.2015 को निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण को रैफरेन्स करने की प्रार्थना की है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर दिनांक 06.11.2017, नकल जमाबन्दी सम्बत 2069–72, नक्शा ट्रेस, नकल खसरा सम्बत 2069–72, नकल भू प्रबन्ध विभाग सम्बत 2028, नकल नामान्तकरण संख्या–637, चालान नम्बर 007211095 दिनांक 30.7.2015 नकल नामान्तकरण संख्या–712, अधिसूचना दिनांक 15.1.98, अधिसूचना 23.5.98, अधिसूचना 15.5.2000, अधिसूचना 21.6.2007, अधिसूचना दिनांक 13.5.2015 पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलंब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेस्ट एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया। जबाव में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील पर अपना निर्णय दिनांक 16.9.2014 को पारित किया है कि इस शर्त के साथ खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है कि वो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.6.2007 की अनुपालना में नगर परिषद धौलपुर सीमा में भूमि स्थित होने के कारण निर्धारित राशि/शुल्क तहसीलदार धौलपुर में जमा करावे जो अप्रार्थीगण ने 20 प्रतिशत राशि चालान संख्या 007211095 दिनांक 30.7.2015 द्वारा 323466/रू जमा करायी है इसलिये आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 09.09.2015 ग्राम ताल औडेला निरस्त किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अपने वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है। आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 712 अपीलीय न्यायालय निर्णय दिनांक 16.9.2014 की अनुपालना में प्रार्थी ने तस्दीक किया है। निर्णय दिनांक 16.9.2014 निरस्त कराये बिना नामान्तकरण संख्या 712 निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय के विरूद्व रैफरेन्स करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10.(17)नविवि/90 जयपुर दिनांक 15.01.1996 से राजस्व ग्राम ताल औडेला को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/33 जयपुर दिनांक 21.6.2007 एंव आदेश क्रमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 के द्वारा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा क्रमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर

(आर0 क0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम ताल औडेला नगर परिषद धौलपुर की परिधिय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते समय 20 प्रतिशत राशि जरिये चालान नम्बर 007211095 दिनांक 30.07.2015 द्वारा राशि 323466/–रू राजकोष जमा कराई गई है लेकिन सक्षम अधिकारी पुर्वानुमति नहीं ली गयी है। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है जिसके कारण गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु निर्णित नामान्तकरण विधि के बिरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर द्वारा अप्रार्थीगण से 20 प्रतिशत राशि चालान संख्या 007211095 दिनांक 30.7.2015 द्वारा 323466/रू जमा करवा कर खातेदारी दी है। आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 712 अपीलीय न्यायालय निर्णय दिनांक 16.9.2014 की अनुपालना में प्रार्थी ने तस्दीक किया है। निर्णय दिनांक 16.9.2014 निरस्त कराये बिना नामान्तकरण संख्या 712 निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा अपीलीय न्यायालय के विरूद्व रैफरेन्स करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया है कि राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/33 दिनांक 21.6.2007 एवं आदेश कमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.05.2015 के द्वारा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैरखातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त की गई है। उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा गैरखातेदार द्वारा भूमि की राशि की 20 प्रतिशत जमा कराई गई है परन्तु प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। प्रकरण में जो खातेदारी प्रदान की गई है वह विधि के विरूद्व दी गई है।

सर्व प्रथम इस बिन्दु पर विचार किया गया कि प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अनियमित रूप से प्रदान की गई खातेदारी के लिये रैफरेंस योग्य है या नहीं। यद्वपि यह सही है कि प्रकरण में खातेदारी प्रदान करते समय सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया। परन्तु यह भी विचारणीय है कि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में गैरखातेदार व्यक्तियों को आवंटन की शर्तो की सफलता पूर्वक पालना करने पर स्वतः खातेदारी देने का प्रावधान है वसर्ते उनके द्वारा परिपत्र के मुताविक 20 प्रतिशत राशि डी एल सी की जमा करादी, यदि तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा नियमों की अनविज्ञता या क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में सामिल होने के तथ्य से

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

अनविज्ञता के कारण जो निर्णय पारित किया है वह प्रशासनिक त्रृटि है तथा इसके लिये अप्रार्थीगण जो कि गैरखातेदार के रूप में दर्ज है उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता तथा यदि उनके द्वारा नवीन सिरे से सक्षम अधिकारी के समक्ष खातेदारी प्रदान करने के लिये आवेदन किया जाता है तथा वर्तमान डी एल सी की 20 प्रतिशत राशि अदा करने की सहमति प्रदान की जाती है तो सक्षम अधिकारी के स्तर पर परिक्षण उपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अतः ऐसी स्थिति में समग्र विषलेशण के उपरान्त यह प्रतित होता है कि प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को पुनः इस निर्देश के साथ लौटा दिया जावे कि अप्रार्थीगण के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी के पास प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया जावे ताकि खातेदारी प्रदान करने के बावत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सके। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर परिपत्र कमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/33 दिनांक 21.6.2007 एवं आदेश कमांक एफ 9(15)राज–6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.05.2015 के संदर्भ में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिये आवेदन करेगें ताकि सक्षम अधिकारी के स्तर पर इस सम्बध में परिक्षण कर निर्णय पारित किया जा सके। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा आवेदन इस अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो तहसीलदार धौलपुर द्वारा पुनः रैफरेंस प्रस्तुत किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)